

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार, 22 अगस्त, 2008/श्रावण 31, 1930 (शक)

संख्या- 271

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री विजय जौली, श्री रमेश विधुड़ी एवं श्री सुशील चौधरी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 21.08.2008 को 11.30 बजे पुलिस स्टेशन हाज खास से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 11.45 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Friday, 22<sup>nd</sup> August 2008/ 31 Sarvana, 1930(Saka)

No. 271

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South Distt., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Vijay Jolly, Shri Ramesh Bidhuri, and Shri Sushil Chaudhery Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, from P. S. Hauz Khas at 11.30 A.M. on 21.8.2008.

They were released at 11.45 A.M. from the same place on the same date."

Siddharath Rao  
Secretary